



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
दाण्डिक अपील क्रमांक 909/2019

वह तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	वह तिथि जब निर्णय उद्घोषित किया गया	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया	
		प्रवर्तनीय	पूर्ण
20.08.2025	18.11.2025	--	18.11.2025

हेमंत कुमार बैगा, पिता स्व. रामविशाल बैगा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम-बड़कापारा सूरजपुर, वार्ड नं. 18, थाना-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थी  
(जेल में)

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य: द्वारा: थाना प्रभारी, थाना-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)।

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सी ए वी निर्णय

द्वारा, रजनी दुबे, न्यायाधीश

1. यह दाण्डिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 06/2019 में दिनांक 22.05.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और निम्नानुसार दंडित किया गया है:-

<u>दोषसिद्धि</u>	<u>दण्डादेश</u>
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कारावास एवं रु.50/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।



(अर्थदण्ड राशि पूर्व ही जमा कर दी गई है)
--

2. अभियोजन का प्रकरण, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेखों से स्पष्ट है, यह है कि दिनांक 03.12.2018 की मध्यरात्रि लगभग 11:00 से 12:00 बजे के बीच ग्राम बड़कापारा, सूरजपुर में, किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाल साय बरगाह की हत्या करने के आशय से उसके सिर पर टांगी से हमला किया। तत्पश्चात, अंबिका प्रसाद बरगाह द्वारा थाना सूरजपुर की पुलिस में एक मर्ग सूचना दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 04.12.2018 को सुबह लगभग 6:00 बजे उसके पड़ोस के एक व्यक्ति गोलू राजवाड़े ने उसे सूचित किया कि उसके पिता का शव अपीलार्थी के घर के पास पड़ा हुआ है। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता अंबिका प्रसाद बैगा द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 490/18 के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई और प्रकरण को विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात, पुलिस ने प्रकरण की विवेचना की और मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने कथित अपराध कारित करने के आरोप में अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात, प्रकरण की सूचना थाना सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) की पुलिस को दी गई और उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध पंजीबद्ध किया।

3. सम्यक् और आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बदले में प्रकरण को विचारण हेतु उपापित किया। अभियोग-पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अपीलार्थी द्वारा अपराध से इनकार किए जाने के कारण उसपर विचारण चलाया गया।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित अभियोगात्मक आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए अभिवाक् किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यद्यपि, अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में 01 साक्षी प्रस्तुत किया गया।

5. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।



6. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की सत्यता और वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश, विधि के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की दृष्टि से भी दोषपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य के विवेचन करने में असफल रहा कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में वृहद लोप और विरोधाभास हैं, इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में अनुचित है। विद्वान विचारण न्यायालय यह विवेचन करने में असफल रहा कि मेमोरेंडम और जब्ती के साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन का पूरा प्रकरण अपीलार्थी से मेमोरेंडम और जब्ती पर आधारित है, अतः अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय यह भी विवेचन करने में असफल रहा कि अभियोजन द्वारा कोई हेतुक या आपराधिक मनःस्थिति स्थापित नहीं की गई है और अपीलार्थी की ओर से इसकी अनुपस्थिति में उसकी दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में अनुचित है। अतएव, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कन्हैया लाल विरुद्ध राजस्थान राज्य (2014) 4 एससीसी 715 में प्रकाशित, राम अधिन विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2017) 3 सीजीएलजे 397 में प्रकाशित, और राजा खान विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2025) 3 एससीसी 314 में प्रकाशित प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया है और तदनुसार अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है, अतः दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

10. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन करने के पश्चात अपीलार्थी को भारतीय दंड



संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध और इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया।

11. पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या मृतक लाल साय बरगाह की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी या नहीं?

12. अ.सा.-01 अंबिका प्रसाद ने कथन किया है कि मृतक उनके पिता थे और दिनांक 03.12.2018 को रात लगभग 10:00 बजे उनके पिता घर पर थे। उन्होंने आगे कथन किया कि रात 10:00 बजे के बाद वह सो गए थे और उन्हें अपने पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात, दिनांक 04.12.2018 को सुबह लगभग 7:00 बजे, उनके पड़ोसी गोलू राजवाड़े ने उन्हें सूचित किया कि उनके पिता मृत अवस्था में अभियुक्त/अपीलार्थी हेमंत बैगा के घर के सामने पड़े हैं। उक्त सूचना मिलने पर, वह अपने पिता को देखने के लिए हेमंत के घर गए, जहाँ उनके पिता जमीन पर मृत पड़े थे।

13. अ.सा.-08 सुरेंद्र यादव, जो मृतक के पुत्र हैं, ने कथन किया है कि दिनांक 03.12.2018 की रात को उनकी माँ, पिता, भाई और दादा-दादी घर में मौजूद थे। रात का खाना खाने के बाद उनके पिता लाल साय बरगाह ने उनसे कहा कि घर के बाहर घास है जिसे रात में दूसरे लोगों के मवेशी खा जाते हैं, इसलिए वह उसे देखने बाहर जाएँगे और फिर सो जाएँगे। खाना खाने के बाद वह रात करीब 10:00 बजे अपने कमरे में वापस आ गए और सो गए, जबकि उस समय उनके पिता लाल साय बरगाह अलाव के पास बैठे थे। अगले दिन सुबह अर्थात् दिनांक 04.12.2018 को करीब 06:00 बजे, उनके पड़ोसी गोलू राजवाड़े ने उन्हें उनके पिता के बारे में सूचना दी, ताकि वे अपने पिता को वापस ला सकें जो अभियुक्त/अपीलार्थी हेमंत बैगा के घर के सामने मृत पड़े थे। सूचना मिलने पर, वह अपने भाई अंबिका प्रसाद, भतीजे ऋषि और माँ लीलावती के साथ हेमंत के घर अपने पिता को देखने गए, जो जमीन पर मृत पड़े थे। तत्पश्चात, वे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना-सूरजपुर गए।

14. अ.सा.-15 प्रमोद डडसेना, उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि उन्होंने लाल साय बरगाह की मृत्यु के संबंध में अंबिका प्रसाद की सूचना पर प्रदर्श पी/04 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज की थी और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रदर्श पी/15 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी दर्ज की थी।

15. अ.सा.-16 जी.आर. चौहान, उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि उन्होंने प्रदर्श पी/01 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा के लिए नोटिस जारी किया था। अ.सा.-01 अंबिका प्रसाद, अ.सा.-02 रामलाल, अ.सा.-08 सुरेंद्र यादव ने मृत्यु समीक्षा मेमो (प्र.पी./01) पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि उन्होंने साक्षियों के समक्ष मृत्यु समीक्षा तैयार किया और सभी



साक्षियों ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी/06 (प्र.पी./06) पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। उन्होंने आगे कथन किया कि उन्होंने प्रदर्श पी/25 के माध्यम से मृतक के शवपरीक्षण के लिए आवेदन दिया था और 'ए' से 'ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

16. अ.सा.-07 डॉ. सीमा गुप्ता ने मृतक लाल साय बरगाह का शवपरीक्षण किया और उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं, जिन्हें सुलभ संदर्भ हेतु यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

1. शव के खोपड़ी के ऑक्सीपिटल भाग में कटा हुआ चोट था और वहीं पर खोपड़ी भी फ्रैक्चर थी। घाव का आकार लगभग 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी था।
2. मुँह के दाहिनी ओर और दाहिने गाल पर चोट था तथा उस तरफ का मेडिबल में फ्रैक्चर था। घाव का आकार 15 गुणा 5 सेमी था तथा उस जगह का दांत बाहर निकल गया था एवं दांत मौजूद नहीं था।
3. बायें मस्तक से शुरू होकर बायें आँख के निचले भाग से होते हुए गाल तक एक कटा हुआ घाव था जिसका आकार 20 रोगी गुणा 3 सेमी था।
4. बायें आँख के कोने में एक कुचला (लेसरेटेड वुण्ड) हुआ घाव था एवं उक्त भाग की हड्डी टूटी हुई थी जिसका आकार 10 सेमी गुणा 4 सेमी था।
5. बायें तरफ की तीसरी, पाँचवी एवं छठवी रिब्स टूटी हुई थी।
6. एकस्ट्रा केनियल हेमेटोमा सिर के दाहिने टेम्पो पैराइटल एरिया में था।

और यह अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण पॉलीट्रॉमा के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से हुआ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट था और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/12 के माध्यम से दी। उन्होंने प्रदर्श पी/13 के माध्यम से क्वेरी रिपोर्ट का उत्तर भी दिया और अभिमत दिया कि सभी चोटें जब्त की गई वस्तु (टांगी) से पहुंचाई जा सकती हैं; यद्यपि, बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका जिससे उसके परिसाक्ष्य को झुठलाया जा सके, विशेष रूप से इस तथ्य को कि क्या सभी चोटें जब्त की गई टांगी से नहीं पहुंचाई जा सकती थीं। अतः, अभियोजन इस तथ्य को सफलतापूर्वक साबित करने में सफल रहा है कि मृतक लाल साय की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

17. अब, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा कि क्या अपीलार्थी ही इस प्रश्नगत अपराध का कर्ता है या नहीं?



18. इस प्रकरण में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतक का शव अभियुक्त/अपीलार्थी हेमंत बैगा के घर के सामने पाया गया था।

19. अ.सा.-11 हेमंत कुमार रॉयल ने कथन किया है कि घटना के दिन वह बड़कापारा, सूरजपुर स्थित अपने खलिहान में धान साफ कर रहा था। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाने पर, थका होने के कारण, रात लगभग 09-10 बजे वह अपने पास ही स्थित पीतांबर सेठ के घर शराब पीने जा रहा था। उसी समय लाल साय बरगाह उसे अपने घर के पास मिले और साथ ले चलने को कहा। तत्पश्चात, वे दोनों पीतांबर सेठ के घर गए और वहाँ लगभग आधे घंटे रुके; दोनों ने शराब पी और फिर पीतांबर सेठ के घर से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद, भगवान शिव मंदिर के पास लाल साय बरगाह ने हेमंत कुमार से कहा कि वह अब और नहीं चल सकता और वह वहाँ कुछ समय बैठेगा। उसने हेमंत कुमार रॉयल से कहा कि यदि वह अपने घर जाना चाहता है, तो चले जाए। उसने आगे कथन किया कि लाल साय बरगाह ने उससे कहा था कि नशा कम होने पर वह घर चला जाएगा, इसलिए वह लाल साय बरगाह को भगवान शिव मंदिर पर छोड़कर अपने घर वापस आ गया, खाना खाया और सो गया। तत्पश्चात, उसने कथन किया कि अगले दिन सुबह जब वह करीब 6-7 बजे सोकर उठा, तब उसने लोगों को कानाफूसी करते सुना कि लाल साय बरगाह की किसी ने हत्या कर दी है और उसे फेंक दिया है। यद्यपि, अभियोजन द्वारा पीतांबर सेठ का परीक्षण नहीं कराया गया।

20. अ.सा.-1 अंबिका प्रसाद मृतक का पुत्र, अ.सा.-4 लीलावती मृतक की पत्नी, अ.सा.-6 दामोदर राम मृतक के पिता, अ.सा.-8 सुरेंद्र यादव मृतक का पुत्र तथा अ.सा.-09 ऋषि कुमार मृतक का प्रपौत्र ने यह कथन किया है कि दिनांक 03.12.2018 की रात्रि में लाल साई बरगाह घर पर थे और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ रात्रि का भोजन किया। रात्रि लगभग 10 बजे परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए, केवल लाल साई बरगाह को छोड़कर, जो अपने घर के पास अलाव के पास बैठे थे। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे, उनके पड़ोस के एक व्यक्ति गोलू राजवाड़े उनके घर आए और शिकायतकर्ता तथा उनके परिवार के सदस्यों को सूचित किया कि लाल साई बरगाह का शव अपीलार्थी के घर के पास पड़ा हुआ है।

21. अ.सा.-10 भुवन कांत रायल उर्फ गोलू ने यह कथन किया है कि दिनांक 04.12.2018 को सुबह लगभग 6-6:30 बजे, उनके क्षेत्र के स्थानीय पार्षद जयशंकर देवांगन ने उन्हें फोन पर सूचित किया कि उनके पड़ोस का लाल साई बरगाह, अपीलार्थी हेमंत कुमार बैगा के घर के पास मृत अवस्था में पड़ा है। स्थानीय पार्षद ने गोलू को इस दुखद घटना की जानकारी मृतक के परिवार के सदस्यों को देने के लिए कहा, तदनुसार उसने मृतक के ज्येष्ठ पुत्र अ.सा.-1 अंबिका प्रसाद को इसकी सूचना दी। अभियोजन ने उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, यद्यपि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी/20 में उक्त तथ्यों से इनकार किया।



22. पुलिस ने अ.सा.-8 सुरेंद्र यादव और अ.सा.-13 नरेंद्र कुमार के समक्ष अभियुक्त हेमंत कुमार बैगा का मेमोरेंडम कथन अभिलिखित किया, यद्यपि, दोनों ही साक्षियों ने उनके समक्ष किसी भी प्रकार के मेमोरेंडम कथन या किसी भी प्रकार की जब्ती से इनकार किया है। मृतक के पुत्र अ.सा.-8 सुरेंद्र यादव ने कथन किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष न तो कोई मेमोरेंडम दर्ज किया और न ही उसके समक्ष कोई वस्तु जब्त की। उसने मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी./15 और जब्ती पत्रक प्र.पी./16 एवं प्र.पी./17 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया, परंतु अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही होने से इनकार किया। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, किंतु उसने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया। अ.सा.-13 नरेंद्र कुमार ने मेमोरेंडम कथन प्र.पी./16 और जब्ती पत्रक प्र.पी./17 के क्रमशः 'B से B' और 'C से C' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, परंतु अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही से इनकार किया। अभियोजन ने उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षण किया, किंतु उसने अभियोजन के सभी सुझावों को नकार दिया और बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने पुलिस के कहने पर सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्र.पी./21 में, प्रदर्श डी में मानव रक्त पाया गया था, परंतु दोनों साक्षियों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि प्रदर्श डी (टांगी) अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर बरामद की गई थी।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजा खान (पूर्वोक्त) के प्रकरण में कण्डिकाएँ 31 से 37 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

31. इस प्रश्न पर कि क्या बरामदगी से संबंधित साक्ष्य अभियुक्त पर दोषारोपण करने के लिए पर्याप्त हैं, इस न्यायालय द्वारा बोधराज विरुद्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रकरण में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: (एससीसी पृ. 58-59, कण्डिका 18)

"18.... भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षिप्त में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 27, धारा 25 व 26 के परंतुक के रूप में है और पुलिस अभिरक्षा में दिए गए किसी भी कथन, यहाँ तक कि स्वीकारोक्ति के रूप में भी, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा राज्य (के.शा.प्र.दिल्ली) विरुद्ध बाल कृष्ण और मोहम्मद इनायतुल्लाह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य<sup>2</sup> में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया था। शब्द "ऐसी सूचना का उतना भाग" जो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से संबंधित हो, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और धारा की पूरी शक्ति इन्हीं पर केंद्रित है। स्पष्ट रूप से, ग्राह्य सूचना की सीमा उस खोजे गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिससे ऐसी सूचना का संबंधित होना आवश्यक



है। पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संभवतः विधायिका की इस आशंका से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में कोई व्यक्ति अनुचित दबाव के कारण स्वीकारोक्ति करने के लिए विवश किया जा सकता है। यदि इस प्रतिबंध को हटाने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त हो कि स्वीकारोक्ति में ऐसी सूचना सम्मिलित कर दी जाए जो बाद में किसी वस्तु की बरामदगी से संबंधित हो, तो यह मानना युक्तिसंगत होगा कि व्यवहार में पुलिस की प्रभावकारी शक्ति इस उद्देश्य को पूरा कर लेगी, और परिणामस्वरूप यह प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। इस प्रावधान अर्थात् धारा 27 का उद्देश्य उन साक्ष्यों की ग्राह्यता प्रदान करना है, जो इस खंड के अस्तित्व के अभाव में पूर्ववर्ती खंडों के परिणामस्वरूप साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किए जा सकते थे। प्रतीत होता है कि जैसा कि धारा 27 वर्तमान रूप में है, किसी तथ्य की खोज की ओर ले जाने वाले साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए, वह जानकारी पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त होनी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा की यह आवश्यकता अत्यंत विसंगतिपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है और उन प्रकरणों में कई मूल्यवान साक्ष्यों को बाहर कर सकती है जहाँ एक व्यक्ति जो बाद में अभिरक्षा में लिया जाता है और अभियुक्त बनता है, अपराध कारित करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या थाना जाता है और अपराध की उन परिस्थितियों को बताता है जिनसे शव, हथियार या किसी अन्य भौतिक तथ्य की खोज होती है। ऐसी सूचना, जो अन्यथा ग्राह्य होती, धारा 27 के अंतर्गत इसलिए अग्राह्य हो जाती है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में था, अथवा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुई जो पुलिस अभिरक्षा में नहीं था। धारा 27 के अंतर्गत जो कथन ग्राह्य है, वह वही है जो खोज की ओर ले जाने वाली सूचना हो। इस प्रकार, जो ग्राह्य है, वह सूचना है; जिसे साबित किया जाना आवश्यक है, न कि उस पर पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई राय। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में रहते हुए दी गई वह सटीक सूचना, जिसके कारण वस्तुओं की बरामदगी हुई, उसे साबित करना है। इसलिए, अभियुक्त और अभियोजन दोनों के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि दी गई जानकारी को अभिलिखित और साबित किया जाए, और यदि इसे अभिलिखित नहीं किया गया है, तो साक्ष्य के माध्यम से सटीक जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार 'परवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत' है। यह सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि यदि किसी बंदी से





प्राप्त सूचना के आधार पर की गई खोज के परिणामस्वरूप कोई तथ्य प्राप्त होता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यह सूचना संस्वीकृतिमूलक अथवा गैर-अभियोगात्मक प्रकृति की हो सकती है, किंतु यदि उससे किसी तथ्य की खोज होती है, तो वह विश्वसनीय सूचना बन जाती है। अब यह सुस्थापित है कि किसी वस्तु की मात्र बरामदगी, धारा के अंतर्गत अभिप्रेत "तथ्य की खोज" नहीं मानी जाती। प्रिवी काउंसिल का पुलुकुरी कोटैया विरुद्ध किंग-एम्परर में पारित निर्णय इस व्याख्या का सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकार है कि धारा में परिकल्पित "खोजा गया तथ्य" उस स्थान को भी समाहित करता है जहाँ से वस्तु प्राप्त की गई थी तथा उस संबंध में अभियुक्त का ज्ञान भी; परंतु दी गई सूचना का उस तथ्य से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है। [देखें महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध दामू]। निस्संदेह, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य सूचना केवल उसी भाग तक सीमित है जो "स्पष्टतः उस तथ्य से संबंधित हो जिसकी खोज हुई है"। तथापि, ग्राह्यता प्राप्त करने के लिए सूचना को इस प्रकार संक्षिप्त नहीं किया जाना चाहिए कि वह असंगत या दुर्बोध हो जाए। ग्राह्य सूचना की सीमा उसकी समझनीयता के अनुरूप होनी चाहिए। केवल यह कथन कि अभियुक्त पुलिस और साक्षियों को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने वस्तुएं छिपाई थीं, अपने आप में दी गई सूचना का संकेत नहीं करता।"

(बल दिया गया)

32. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसरण में हुई बरामदगी को साबित करने के लिए तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) और भुवन धीमर (अ.सा. 26) को पंच साक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षियों के परिसाक्ष्यों के सरल परिशीलन से, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किए गए कथित प्रकटीकरण और उसके अनुसरण में हुई बरामदगी के संबंध में अभियोजन के पक्ष पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

33. तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसकी उपस्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त से पूछताछ की गई, तो अपीलार्थी-अभियुक्त ने कहा कि वह पत्थर, टांगी और पाइप बरामद करा सकता है। यद्यपि, अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान, तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) ने स्वीकार किया है कि वह एक अन्य साक्षी (जिसे विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया) के साथ थाना में लगभग 5 मिनट रुका था, जिस अवधि के दौरान पुलिस ने उनसे कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उक्त साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-23) लिया गया था और उसने पुलिस के निर्देश पर, उक्त दस्तावेज की अंतर्वस्तु



को पढ़े या समझे बिना उस पर हस्ताक्षर किए थे। उसने स्वीकार किया है कि कोई भी जब्ती पत्रक घटनास्थल पर तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। उसने कथन किया है कि उन्हें थाना में तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था। इसलिए, तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) के परिसाक्ष्य से, इस बात पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त ने उक्त साक्षी के समक्ष कोई प्रकटीकरण किया था, अथवा कथित बरामदगी को वास्तव में तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) ने देखा था।

34. प्रदर्श पी-25, अर्थात् पत्थर और गंडासा का जब्ती पत्रक है, यह उल्लेख करता है कि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी-अभियुक्त के निशानदेही पर निकाली गई थीं। इसी प्रकार, प्र. पी-29 में यह उल्लेख किया गया है कि चेनों अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा निकाली गई थीं। यद्यपि, तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि जब्ती की कार्यवाही (अर्थात् जब प्र. पी-25 से प्र. पी-31 तैयार किए गए थे) के दौरान अपीलार्थी-अभियुक्त, उक्त साक्षी और पुलिस के साथ उपस्थित था। वास्तव में, प्र. पी-29 और प्र. पी-25 के अतिरिक्त किसी भी अन्य जब्ती पत्रक में यह उल्लेख नहीं है कि उनमें की गई बरामदगी अपीलार्थी-अभियुक्त या दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त के निशानदेही पर हुई थी।

35. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के परिशीलन से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक की कथित सोने की चेन को एक लाल रंग के रैपर में लपेटकर और फिर उन्हें अपने घर की छत पर एक हरे रंग के कंटेनर के पीछे छिपाया था। यद्यपि, जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-29 में यह उल्लेख है कि चेनों को घर की छत पर रखे एक हरे रंग के कंबल से बरामद किया गया। उक्त जब्ती पत्रक में आगे यह उल्लेख किया गया है कि साक्षियों की उपस्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा वस्तुओं को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लिया। दूसरी ओर, विवेचना अधिकारी जी.एस. सिंह (अ.सा. 25) का कथन है कि प्र.पी-29 की जब्ती कार्यवाही के समय, वह स्वयं छत पर नहीं गए थे और अपीलार्थी-अभियुक्त तथा साक्षी छत पर गए थे।

36. प्रासंगिक रूप से, तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) ने अपने अभिसाक्ष्य में, अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति का कोई संदर्भ दिए बिना यह कथन किया है कि एक पुलिसकर्मी बाहर से अपीलार्थी-अभियुक्त के घर की छत पर चढ़ा था और उसके बाद, वह स्वयं भूपेंद्र ध्रुव के साथ उक्त छत पर चढ़ा जहाँ से चेनों की बरामदगी हुई। अतः, जिस रीति से अपीलार्थी-अभियुक्त के घर से सोने की चेने बरामद की गईं, उसके संबंध में स्पष्ट विसंगतियां हैं और इसके अतिरिक्त, उक्त बरामदगी के समय अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति स्वयं संदेहास्पद है।

37. इसी प्रकार, भुवन धीमर (अ.सा. 26), जो कि वह गोताखोर है जिसने कथित तौर पर कचना तालाब से पत्थर और गंडासा बरामद किया था, ने अपने परिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया



है कि उसने उक्त वस्तुओं को पुलिस के निर्देश पर और पुलिस द्वारा बताए गए स्थान से बरामद किया था। उसने अपीलार्थी-अभियुक्त की उपस्थिति या इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया कि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा बताए जाने पर बरामद की गई थीं। कचना तालाब से वस्तुएं पुलिस के निर्देश पर जब्त की गई थीं, इस तथ्य की संपुष्टि तीरथ ध्रुव (अ.सा. 22) के कथन से भी होती है, जिसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि पुलिस ने ही गोताखोरों को तालाब में जाने और वस्तुओं को बाहर निकालने का निर्देश दिया था।"

24. इस न्यायालय ने **राम अधीन (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में कण्डिकाएँ 14 व 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"14. वर्तमान प्रकरण में भी, मेमोरेंडम कथन के साक्ष्य और उसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की जब्ती के अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूर्ण करने वाली ऐसी कोई अन्य परिस्थितियाँ साबित नहीं की गई हैं, जो एक-दूसरे से इतनी जटिलता से जुड़ी हों कि वे केवल उसकी संलिप्तता की ओर इंगित करती हों।

15. साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरांत, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण साबित किया है।"

25. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में, और वर्तमान प्रकरण में भी, मेमोरेंडम और जब्ती के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी निर्णायक या विश्वसनीय साक्ष्य साबित नहीं किया गया है। यहाँ अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मेमोरेंडम, जब्ती और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन के आधार पर दोषसिद्ध किया है, परंतु अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन से यह स्पष्ट है कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन के संबंध में उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था।

26. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी ने स्वयं का परीक्षण बचाव साक्षी -01 के रूप में कराया है और उसने कथन किया है कि पुलिस ने उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया है; उसके परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने इस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई थीं, जो प्रदर्श डी-1 से डी-8 हैं।

27. अतः, यह स्पष्ट है कि अ.सा.-08 सुरेंद्र यादव और अ.सा.-13 नरेंद्र कुमार ने मेमोरेंडम कथन प्र.पी./15 का समर्थन नहीं किया है, और इस प्रकरण में अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्षी नहीं है। अ.सा.-11 हेमंत कुमार रायल ने कथन किया है कि उसने घटना की रात अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतक को एक साथ देखा था, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों का समुचित विवेचन



नहीं किया और अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं हैं।

28. फलस्वरूप, अपील **स्वीकार** की जाती है और दिनांक 22.05.2019 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

29. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि का एक प्रतिभूति प्रस्तुत करे, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही यह वचनबद्धता भी होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उक्त अपीलार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

30. विचारण न्यायालय के अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/-  
(रजनी दुबे)  
न्यायाधीश

सही/-  
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)  
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।